

03. प्रवेश का टाईम फ्रेम:-

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :-

क्र.सं.	विवरण / गतिविधि	टाईमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिनांक 06.02.2023	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	06 फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक	संबंधित अभिभावक
3	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	15 फरवरी 2023	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
4	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक	अभिभावको द्वारा
5	आवेदन पत्रों की जांच करना	15 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक	गैर सरकारी विद्यालय
6	विद्यालय द्वारा आवेदन को Correction/reject किये जाने की शिकायत सीबीईओ/जिशिअ कार्यालय में करना।	15 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक	अभिभावकों द्वारा
7	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	15 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक	अभिभावको द्वारा
8	विद्यालय द्वारा संशोधित आवेदनो की पुनः जांच करना	15 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक	गैर सरकारी विद्यालय
9	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना।	28 फरवरी 2023	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा